न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-312RAAJodhpur2024-171RTA225 Shesharam Vs Dhaglaram etc

शेषाराम पुत्र मोतीराम जाति माली, निवासी– अशोक नगर, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. ढगलाराम पुत्र मोतीराम
02. चम्पालाल पुत्र मोतीराम
03. धापूदेवी पुत्री मोतीराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण– अशोक नगर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2022 शेषाराम बनाम ढगलाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री शंकरसिंह जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2022 अनवान शेषाराम बनाम ढगलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 908 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नं. 907 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नं. 919 रकबा 0.6715हैक्टेयर, खसरा नं. 906 रकबा 0.6957

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर, खसरा नं. 918 रकबा 0.6877 हैक्टेयर ग्राम सिंधीपुरा के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24. जुलाई 2024 को अपीलाधीन आदेश के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किा कि अपीलार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी की दर्ज है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से साबित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में दर्ज सभी काश्तकारान् का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होने की कानूनी उपधारणा है। अतः एक सहखातेदार को बिना बंटवाड़ा करवाये तथा किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु विचार किये बिना प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने में विचारण न्यायालय द्वारा भूल की गई है। इसलिए सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्तज आराजी के अग्रिम बेचान/हस्तांतरण पर आमादा है। विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द हो जाती है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी तथा विभाजन के दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया जाना भी न्याय हित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पोडेट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त आराजी पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे। के लंबित रहने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा न तो वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण किया जा रहा है तथा न ही भविष्य में बेचान का विचार है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स परेशान एवं हैरान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी का तृतीय पक्षकार को हस्तांतरण किया जाता है अथवा उसे खुर्द–बुर्द किया जाता है तो नवीन पक्षकारान् का सृजन होने सें अनावश्यक मुकदमेबाजी बढना संभावित है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स पक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण नहीं किये जाने का कथन किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अभिवर्द्धित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2022 अनवान शेषाराम बनाम ढगलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को अभिवर्द्धित किया जाकर उभय पक्ष को वाद के विचाराण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 908 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नं. 907 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नं. 919 रकबा 0.6715हैक्टेयर, खसरा नं. 906 रकबा 0.6957 हैक्टेयर, खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

918 रकबा 0.6877 हैक्टेयर ग्राम सिंधीपुरा के मौके की यथास्थिति के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर